

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी०सी०आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 103/2015

संस्थित दिनांक-07.07.2014

फाईलिंग नंबर-230303016962014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म०प्र०)अभियोजन

वि रू द्ध

1. भूरा गुर्जर पुत्र जबरसिंह गुर्जर उम्र 36 साल
निवासी आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड
.....आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपी द्वारा श्री भगवती राजौरिया अधिवक्ता

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक **07 जुलाई 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम एवं सहपठित धारा-11 व 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट एवं 216 भा०द०वि० के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक-12.05.14 को लगभग 15.00 बजे मालनपुर ग्राम माहौ के पास एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के प्रभावशील रहते हुए स्वयं के आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के पिस्टल 32 बोर एवं पांच जिन्दा कारतूस, कट्टा 315 बोर एवं पांच जिन्दा कारतूस रखे जाने एवं उक्त दिनांक व समय व स्थान पर ही अपराधी राजा भैया गुर्जर व गजेन्द्र माहौर को संश्रय दिया।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि इनामी अपराधी राजाभैया आरोपी भूरा गुर्जर का सगा भाई है। तथा यह भी स्वीकृत है कि घटना दिनांक को आरोपी भूरा गुर्जर की गर्दन की हड्डी में अस्थिभंजन था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि थाना प्रभारी शेरसिंह को दिनांक 12.05.14 के 15.00 बजे दौराने इलाका गस्त प्र०आर० गजेन्द्रसिंह से सूचना प्राप्त हुई कि आलौरी का भूरा गुर्जर फरारी बदमाश राजाभैया एवं गजेन्द्र माहौर को अपराध घटित करने के लिये माहौ की नहर पर अवैध हथियार एवं कारतूस पहुंचाने के लिये जा रहा है। सूचना की तश्दीक हेतु उसने मय हमराही फोर्स के ग्राम माहौ की नहर पर पहुंचकर एम्बूस लगाया तभी आलौरी की तरफ से एक आदमी मोटरसाईकिल पर आता हुआ दिखाई दिया जिसे

रोककर संदेह होने पर तलाशी ली तो पेंट में सामने की ओर से दाहिनी ओर बेल्ट के नीचे एक पिस्टल एवं बाईं ओर 315 बोर का कट्टा लगाये मिला। दोनों को अपने कब्जे में लिया। तथा बरैल खोलकर देखा तो 315 बोर के कट्टे में 1 कारतूस लगा मिला। पिस्टल की मैगजीन को निकालकर देखा तो उसमें पांच कारतूस मिले। पेन्ट की जेब की तलाशी लेने पर दाहिनी जेब में चार कारतूस 315 बोर के मिले। उक्त शस्त्रों को रखने का लायसेन्स मांगा तो फरारी इनामी बदमाश राजाभैया गुर्जर निवासी आलौरी एवं गजेन्द्र माहौर निवासी टुडीला को घटना घटित करने के लिये हथियार पहुंचाने की बात बताई।

4. नाम पता पूछने पर अपना नाम भूरा पुत्र जबरसिंह गुर्जर निवासी आलौरी थाना गोहद का होना बताया। आरोपी का उक्त कृत्य फरारी इनामी बदमाशों को अवैध हथियार एवं कारतूस उपलब्ध कराकर घटना घटित कराने पर अपराध धारा-212, 216 भादवि एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं 25/27 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से आरोपी के कब्जे से समक्ष साक्षी विनोद शर्मा व आरक्षक इंदरसिंह के एक कट्टा 315 बोर, पांच जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक पिस्टल 32 बोर, पांच कारतूस 32 बोर तथा एक मोटरसाईकिल बजाज कंपनी की है। तथा कारतूस एवं पिस्टल को मौके पर सीलबंद कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-1 बनाया व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-2 बनाया एवं आरोपी के विरुद्ध मौके पर देहाती नालिसी प्र0पी0-6 क्र0-0/14 धारा 212, 216 भादवि एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
5. थाना वापिसी पर आरोपी भूरा गुर्जर के विरुद्ध अप0क्र0-103/14 धारा-212, 216 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत विधिवत निराकरण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
6. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त भूरा गुर्जर के विरुद्ध धारा- 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम एवं सहपठित धारा-11 व 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं 216 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को पुलिस की सांठगांठ से झूठा फंसाया जाना बताया है तथा आरोपी ने अपने बचाव में ब0सा0-1 अरविन्द की साक्ष्य कराई है।

7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या दिनांक 12.05.14 को लगभग 15.00 बजे थाना मालनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम माहौ के पास नहर की पुलिया पर आरोपी भूरा गुर्जर अपने आधिपत्य में संज्ञान में 32 बोर की एक पिस्टल व

- पांच जीवित कारतूस एवं एक 315 बोर का देशी कट्टा मय पांच जीवित कारतूसों के रखे हुए पाया गया?
2. क्या उक्त घटना के समय आरोपी के पास उक्त शस्त्र रखने का कोई वैध लायसेन्स नहीं था?
 3. क्या आरोपी से उक्त शस्त्रों की जप्ती मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील रहते हुए की गई?
 4. क्या उक्त सुसंगत घटना में बरामद हुए शस्त्र फरार इनामी अपराधी राजाभैया गुर्जर व गजेन्द्र माहौर को अपराध घटित करने के आशय से देने के लिये ले जाते हुए पाया गया?
 5. क्या आरोपी ने उक्त शस्त्र राजाभैया गुर्जर और गजेन्द्र माहौर को संश्रय प्रदान करते हुए पहुंचाने का प्रयास किया?

—::—निष्कर्ष के आधार :—

8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में इन्द्रसिंह बघेल (अ0सा0-01), विनोद शर्मा (अ0सा0-02), दीपक तिवारी (अ0सा0-03), डिंपल मौर्य (अ0सा0-4), सुरेश दुबे (अ0सा0-5) एवं शेरसिंह (अ0सा0-6) की साक्ष्य कराई है। अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी0-1 लगायत-प्रदर्श पी0-08 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। प्रकरण में जो दस्तावेज पेश किये हैं, उनमें प्र0पी0-3 के रूप में साक्षी विनोद का कथन एवं अभियोजन चलाने की स्वीकृति डबल अंकित हैं जिसकी वजह से कम बिगड़ा है। अतः क्रम को सुधारते हुए अभियोजन स्वीकृति को प्र0पी0-4 एवं आर्म्स मुहर्रिर की जांच रिपोर्ट को प्र0पी0-5 के रूप में आगे पढा जायेगा।

—::— विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 लगायत 5 —::—

9. उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
10. परीक्षित साक्षियों में से घटना के बताये गये स्वतंत्र व पंच साक्षी चौकीदार विनोद शर्मा अ0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अभियोजन कथानक का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में समर्थन नहीं किया है। और वह पक्ष विरोधी रहा है। पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उसने घटना के समय अभियोजन के किसी तथ्य की कोई पुष्टि नहीं की है। उसके मुताबिक पुलिस द्वारा थाने पर उससे जप्ती व गिरफ्तारी के कागजों पर हस्ताक्षर कराये गये हैं। उसने पैरा-2 में यह अवश्य स्वीकार किया है कि जब हस्ताक्षर कराये गये थे उस समय भूरा अभिरक्षा में थाने पर था। उक्त साक्षी के द्वारा ग्राम माहौर की नहर की पुलिया देखना बताया गया है किन्तु मौके की कार्यवाही का वह समर्थन नहीं करता है। और उसने प्र0पी0-1 जप्ती पत्रक और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-2 पर हस्ताक्षर के अलावा प्र0पी0-3 का पुलिस को कथन देने

से स्पष्ट इन्कार किया है। इसके अलावा शेष अभियोजन के परीक्षित साक्षी शासकीय सेवक हैं। ऐसे में शेष साक्षियों की अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो जाता है।

11. अभियोजन के कथानक मुताबिक टी0आई0 शेरसिंह दिनांक 12.05.14 को थाना मालनपुर में थाना प्रभारी रहते हुए इलाका गस्त व विवेचना में गया था। तब उसे दिन के करीब ढाई बजे एच0सी0एम0 के माध्यम से आरोपी बाबत यह जानकारी मिली कि ग्राम आलौरी का भूरा गुर्जर इनामी बदमाश राजाभैया व गजेन्द्र माहौर को अवैध हथियार व कारतूस पहुंचाने माहो के पास नहर पर आने वाला है। जिसकी सूचना पर वह मय फोर्स के वहाँ गया और एम्बूस लगाकर घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा और उससे अवैध शस्त्र पिस्टल व देशी कट्टा व कारतूस मोटरसाईकिल सहित जप्त किये गये।
12. मौके की कार्यवाही के संबंध में जो अभियोजन की ओर से साक्षी पेश किये गये हैं, उनमें आरक्षक इन्द्रसिंह बघेल अ0सा0—1 व टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0—6 हैं। आर्म्स क्लर्क व आर्म्स मुहर्रिर के अलावा उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य का जो कथन कराया गया है उसमें उसने अ0सा0—4 के रूप में केवल यह बताया है कि पंजीबद्ध हुए अपराध क्रमांक 103/14 में अनुसंधान के दौरान उसने विनोदशर्मा व आरक्षक इन्द्रसिंह के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। अ0सा0—4 के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा जो कथन लेना बताये गये हैं, वह प्र0पी0—7 की एफ0आई0आर0 के पंजीबद्ध होने के पश्चात की कार्यवाही है इसलिये यह भी देखना होगा कि उक्त साक्षिया के द्वारा जो कथन लेना बताये गये हैं, उसकी वैधानिक स्थिति क्या है? क्योंकि विनोद शर्मा अ0सा0—2 ने कोई भी कथन पुलिस को देने से इन्कार किया है और इन्द्रसिंह बघेल अ0सा0—1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा—5 में कथन टी0आई0 साहब को घटनास्थल पर देना बताया है। जिसके मुताबिक टी0आई0 ने ही विनोद शर्मा से भी पूछताछ करके कथन लिया था। अ0सा0—1 उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य को कथन देने की बात का समर्थन कथानक मुताबिक नहीं करता है। इसलिये सर्वप्रथम अ0सा0—1 के अभिसाक्ष्य का विश्लेषण व मूल्यांकन करना उचित होगा।
13. यह सुस्थापित विधि है कि अन्य साक्षियों की भांति ही पुलिस के साक्षियों के भी कथन ग्राह्य योग्य होते हैं। पुलिस कर्मों के कथन पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह पुलिस कर्मों हैं। जैसा कि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में भी बताया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **करमजीत सिंह विरुद्ध स्टेट (2003) वोल्यूम—55 एस0सी0सी0 पेज—291** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण की अभिसाक्ष्य को भी सामान्य साक्षी की तरह ही लेना चाहिए और यह उपधारणा कि व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, पुलिस के बारे में भी लागू होता है।
14. आरक्षक इन्द्रसिंह बघेल अ0सा0—1 के मुताबिक दिनांक 12.05.14 को वह

थाना प्रभारी शेरसिंह के साथ ग्राम माहौ नहर की पुलिया के पास गया था। वहाँ पर आरोपी भूरा गुर्जर को टी0आई0 ने उसके समक्ष मय 315 बोर के देशी कट्टा एवं पांच कारतूस 32 बोर के एवं एक पिस्टल मय पांच जीवित कारतूसों व मोटरसाईकिल सहित दिन में करीब 3.15 बजे गिरफ्तार किया था। और उसके कब्जे से उक्त शस्त्र व मोटरसाईकिल की जप्ती की गई थी जिसका प्र0पी0-1 का जप्ती पत्र बनाया गया था और उस पर उसके हस्ताक्षर कराये गये हैं फिर आरोपी की प्र0पी0-2 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी पत्रक पर भी उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। तथा साक्षी ने आरोपी को न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान भी पहचाना है और यह बताया है कि वह टी0आई0 साहब के साथ गस्त में गया था। करीब पौने तीन बजे माहौ की पुलिया के पास पहुंच गये थे। वहाँ पर टी0आई0 सहब ने एम्बूस लगाया था और थोड़ी देर बाद करीब 3.00 बजे आरोपी मोटरसाईकिल से आ रहा था जिसे टी0आई0 साहब ने पकड़ा था। जिस पर उक्त शस्त्र कारतूस मिले थे और उसका नाम पता पूछा था। शस्त्रों के लायसेन्स के बारे में मांग किये जाने पर आरोपी पर कोई लायसेन्स नहीं मिला था तथा आरोपी ने टी0आई0 साहब को पूछने पर यह भी बताया था कि वह उक्त शस्त्र फरारी बदमाश राजाभैया और गजेन्द्र माहौर को देने के लिये जा रहा था।

15. अ0सा0-1 ने अपनी अभिसाक्ष्य के पैरा-3 में यह बताया है कि थाने से घटनास्थल के लिये करीब ढाई बजे निकले थे। और टी0आई0 साहब को मिली सूचना के आधार पर गये थे। थाने से ग्राम माहौ की पुलिया की दूरी उसने करीब पांच किलोमीटर बताते हुए यह कहा है कि सरकारी वाहन से गये थे। और पन्द्रह मिनट में पहुंच गये थे। पहले जप्ती की कार्यवाही हुई फिर गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई। जप्ती की कार्यवाही दिन के करीब 3.00 बजे और गिरफ्तारी सवा तीन बजे की गई थी। उसने आरोपी की पहचान और उसके पिता के नाम व निवास की जानकारी भी पैरा-4 में देते हुए यह कहा है कि जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही के समय मौके से एक ही व्यक्ति विनोद शर्मा निकला था जिसे साक्षी बनाया गया था। उसके मुताबिक टी0आई0 साहब ने सर्वप्रथम आरोपी की तलाशी ली थी तलाशी का कोई पंचनामा नहीं बनाया गया था। जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही के अलावा और कोई कार्यवाही मौके पर नहीं हुई थी। उसके मुताबिक सूचना मिलने पर टी0आई0 साहब ने और एक आरक्षक सरकारी वाहन से गये थे। पैरा-5 में उसका यह भी कहना है कि कट्टा पिस्टल टी0आई0 साहब अपने साथ में ले आये थे और थाने पर सील्ड करके आर्म्स मुहर्रिर को दिये थे। इस बात से वह इन्कार करता है कि संपूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर की और आरोपी को बस स्टेण्ड बुलाकर थाने पर बिठा लिया गया था जो अपना इलाज कराने के लिये जा रहा था।

16. अ0सा0-1 को कथानक मुताबिक और फरियादी टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-6 के मुताबिक हमराह पुलिस बल का साक्षी बताया गया है। अभिलेख पर जो दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश की गई है, उसमें प्र0पी0-8 का रोजनामचासान्हा प्र0पी0-6 की देहाती नालिसी भी पेश की गई है जिनके आधार पर प्र0पी0-7 की एफ0आई0आर0, मौके की कार्यवाही पश्चात थाने वापिस पहुंचकर टीआई शेरसिंह द्वारा की गई थी। बचाव पक्ष का यह तर्क व आधार है कि आरोपी घटना दिनांक को गर्दन की हड्डी टूट जाने से देशी इलाज कराने के लिये गांव के अरविन्द गुर्जर के साथ मोटरसाईकिल से ग्राम पड़ावली के वैद्य के यहाँ जा रहा था।

तब मालनपुर में हरीराम की कुईया के पास उसे पुलिस वाले पकड़कर थाने ले गये और थाने पर बंद रखा तथा झूठी कार्यवाही की। आरोपी किसी भी प्रकार के कोई हथियार न तो लिये था न किसी को देने जा रहा था। अरविन्द गुर्जर को पुलिस ने बाद में ले देकर छोड़ दिया था और उसे किसी को दर्ज अपराध के बारे में बताने से मना करते हुए धमकाया गया इसलिये मामला झूठा है। इसी आशय का बचाव साक्षी अरविन्द गुर्जर अ0सा0-1 ने भी अभिसाक्ष्य दिया है।

17. बचाव साक्षी अरविन्द गुर्जर के मुताबिक मोटरसाईकिल से भूरा को वह ग्राम आलौरी से लेकर गया था और हरीराम की कुईया पर बस से ग्राम पड़ावली देशी दवा लेने के लिये उसने जाना बताया है। जिसके संबंध में टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-18 में बचाव साक्षी के बताये तथ्यों से इन्कार करते हुए यह कहा है कि हरीराम की कुईया के लिये पड़ावली को कोई बस नहीं जाती है। बस से जाने की बात इस आधार पर स्वाभाविक नहीं है क्योंकि जब मोटरसाईकिल से आरोपी और बचाव साक्षी जा रहा था तो फिर हरीराम की कुईया पर बस की प्रतीक्षा नहीं करते। जबकि आरोपी की गर्दन की हड्डी (क्लेवीकल बोन) में अस्थिभंगन था। बचाव साक्षी जो तथ्य बताता है उनके संबंध में बाद में कभी कोई शिकायती कार्यवाही नहीं की गई इसलिये अरविन्द गुर्जर के साथ जाने की बात बचाव साक्षी के कहे मुताबिक ग्राह्य योग्य नहीं है। तथा बचाव साक्षी को और कोई तथ्यों की जानकारी नहीं है इसलिये बचाव साक्षी की अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। हालांकि सुस्थापित विधि है कि बचाव साक्षी को भी सामान्य साक्षी की तरह ही लिया जाना चाहिए। किन्तु बचाव साक्षी की अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किये जाने से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। क्योंकि यह सुस्थापित दाण्डिक विधि है कि अभियोजन को अपना मामला स्वयं की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है।
18. जहाँ तक अ0सा0-1 की विश्वसनीयता का प्रश्न है, इस संबंध में प्र0पी0-8 रोजनामचासान्हा, रवानगी वापिसी का अवलोकन करने पर घटना दिनांक 12.05.14 को सान्हा क्रमांक-358 पर टी0आई0 शेरसिंह की मय उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य के सुबह साढ़े छः बजे थाने से विवेचना एवं गस्त के लिये रवानगी बताई गई है। और सान्हा क्रमांक-359 के मुताबिक दिन के ढाई बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है जिसमें यह जानकारी मिली कि भूरा गुर्जर आलौरी का इनामी बदमाश राजाभैया एवं गजेन्द्र माहौर को अवैध हथियार व कारतूस पहुंचाने माहौर के पास नहर पर आने वाला है जिसे दर्ज किया गया और टी0आई0 को अवगत कराया गया। टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-6 भी अपने अभिसाक्ष्य में एच0सी0एम0 के द्वारा उक्त आशय की सूचना मिलना बताता है और मौके पर जाना बताया गया है। सान्हा क्रमांक-371 के मुताबिक टी0आई0 शेरसिंह मय उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य और आरक्षक उदयसिंह व विक्रमसिंह के साथ गया था। पेश किये गये रोजनामचासान्हा में आरक्षक इन्द्रसिंह बघेल का उल्लेख नहीं है कि वह पुलिस बल में साथ में गया था। जिन आरक्षकों उदयसिंह व विक्रमसिंह का उल्लेख रोजनामचासान्हा में आया है, वे न तो प्रकरण में साक्षी बनाये गये हैं न ही उन्हें अभियोजन की ओर से साक्ष्य में पेश किया गया है।

19. इस संबंध में टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य को देखा जाये तो वह भी अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-6 में उदयसिंह व विक्रम आरक्षकों का साथ में होना बताता है। इन्द्रसिंह बघेल के साथ में होने का कोई कथन नहीं आया है। ऐसे में मौके की कार्यवाही का इन्द्रसिंह बघेल आरक्षक को साक्षी बनाया जाना संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि उसके साथ में होने के बाबत न तो प्र0पी0-8 के रोजनामचा में उल्लेख है न ही देहाती नालिसी प्र0पी0-6 में कोई उल्लेख आया है। ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क कि पूरी कार्यवाही मौके पर न करके थाने पर की गई है और थाने पर ही उक्त आरक्षक के हस्ताक्षर करा लिये गये थे जो कार्यवाही करने वाले टी0आई0 शेरसिंह का अधीनस्थ कर्मचारी है। अ0सा0-1 का अधीनस्थ कर्मचारी होने का तथ्य निर्विवादित है। उक्त आरक्षक का अभिसाक्ष्य इस आधार पर भी संदेह उत्पन्न करता है कि वे मौके पर ही टी0आई0शेरसिंह को कथन देना कहता है जबकि कथानक मुताबिक शेरसिंह द्वारा कोई कथन मौके पर नहीं लिये गये तथा शेरसिंह अ0सा0-6 स्वयं भी किसी साक्षी का मौके पर कथन लेने की बात बाबत समर्थन नहीं करता है। आरोपी से पूछताछ करना वह अवश्य कहता है जिसमें आरोपी के द्वारा इस आशय की जानाकादी दी गई थी कि वह कट्टा, पिस्टल और कारतूस राजाभैया और गजेन्द्र माहौर को देने के लिये जा रहा था। जैसा कि अ0सा0-1 भी कहता है। किन्तु आरोपी से पूछताछ कर दिये गये कथन बाबत धारा-27 साख्य विधान के अंतर्गत कोई ज्ञापन तैयार नहीं किया गया है जिसके संबंध में टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-6 अपने अभिसाक्ष्य में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होना कहता है।
20. अ0सा0-1 की मौके कार्यवाही बाबत दिया गया यह कथन कि जप्ती गिरफ्तारी के अलावा मौके पर और कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-6 मुताबिक उसने मौके पर ही प्र0पी0-6 की देहाती नालिसी भी कायम की थी और जप्तशुदा शस्त्रों को मौके पर ही सीलड करना वह कहता है। प्र0पी0-1 के जप्ती पत्रक में ही मौके पर ही सीलड करने का नोट लगाया गया है। जबकि अ0सा0-1 पैरा-5 में थाने में सीलड करके शस्त्र आर्म्स मुहर्रिर को देना कहता है। इस बिन्दु पर दोनों विरोधाभाषी हैं। इससे भी अ0सा0-1 की विश्वसनीयता घट जाती है।
21. अ0सा0-1 के पैरा-3 मुताबिक थाने से घटनास्थल के लिये ढाई बजे निकले थे। किन्तु ढाई बजे थाने से रवानगी का उल्लेख प्र0पी0-8 में नहीं है बल्कि प्र0पी0-8 के अवलोकन से तो ऐसा प्रकट होता है कि टी0आई0 शेरसिंह और उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य थाने से सुबह करीब साढ़े छः बजे इलाके की गस्त के लिये रवाना हो गये और उन्होंने ढाई बजे के पूर्व थाना वापिसी का कोई रोजनामचा पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा आभाष होता है कि इलाका गस्त के दौरान ही उन्हें दिन के ढाई बजे घटना की सूचना मिली और वह मौके पर चले गये और कार्यवाही करने लगे। इससे थाने से रवानगी का बिन्दु भी

संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि दिन में ढाई बजे थाने से रवाना होने की बात अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य में नहीं आई है। ऐसे में अ0सा0-1 का अभिसाक्ष्य संदिग्ध होकर विश्वसनीय नहीं है।

22. मौके की बताई गई कार्यवाही के संबंध में अब केवल परिवादी टीआई शेरसिंह अ0सा0-6 की अभिसाक्ष्य है, और उसके संबंध में अभियोजन का यह आधार व तर्क है कि विवेचक के अकेले अभिसाक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, उसमें कोई विधिक बाधा नहीं है। न्याय दृष्टांत **विनोद कुमार शुक्ला विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 1999 भाग-2 एम0पी0जे0आर0 पेज-247** के पद क्रमांक-12 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अकेले पुलिस अधिकारी के कथन पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है। यदि उसका कथन निष्पक्ष और विषंगतियों से दूर हो। तथा **ताहिर विरुद्ध दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ए0आई0आर0 1996 सुप्रीमकोर्ट पेज-3079** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि मात्र पुलिस अधिकारी होने के कारण ही उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। यह साबित होना चाहिए कि क्यों झूठा मामला बनाया जायेगा।
23. इस प्रकार से शेरसिंह अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना होगा कि उस पर क्यों विश्वास किया जाये या क्यों न किया जाये। इस संबंध में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि टी0आई0 शेरसिंह के द्वारा वैधानिक रीति से मौके की कार्यवाही की जाना अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है इसलिये उसका कथन विश्वसनीय है और उस पर से दोषसिद्धि आधारित की जाये क्योंकि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर 18-20 मामले पंजीबद्ध हुए हैं जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पुलिस द्वारा झूठा मामला वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के कारण थाने पर बैठकर गलत तरीके से तैयार किया गया है। क्योंकि उसके छोटे भाई राजाभैया पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इनाम घोषित किया गया था और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक भिण्ड के द्वारा राजाभैया को पकड़ने के लिये दबाव बनाने बाबत परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध झूठे प्रकरण पुलिस द्वारा बनाये गये थे। और घटना दिनांक को तो आरोपी गर्दन की हड्डी टूटने से अत्यधिक पीड़ा में था और इलाज कराने के लिये जा रहा था इसलिये भी मामला झूठा सिद्ध होता है और उसे दोषमुक्त किया जाये।
24. यह सही है कि मौके की कार्यवाही के संबंध में अ0सा0-2 ने समर्थन नहीं किया है और अ0सा0-1 को विश्वसनीय नहीं माना गया है। उसके अलावा टीआई शेरसिंह अ0सा0-6 ही एकमात्र साक्षी शेष रह जाता है। इसलिये उसके अभिसाक्ष्य का सावधानी से मौके की कार्यवाही बाबत मूल्यांकन करना होगा।
25. शेरसिंह अ0सा0-6 के मुताबिक दिनांक 12.05.14 को वह थाना प्रभारी मालनपुर के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक का वह

मय फोर्स के विवेचना और इलाका गस्त के लिये रवाना होना कहता है। जैसा कि प्र०पी०-8 के रोजनामचासान्हा में सान्हा क्रमांक-358 में भी उल्लेख किया गया है किन्तु उक्त साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि घटना दिनांक को उसने इस अपराध के अलावा अन्य किसी अपराध में अनुसंधान नहीं किया था। जैसा कि वह पैरा-7 में कहता है। ऐसे में घटना दिनांक को सुबह साढ़े छः बजे किसी अपराध की विवेचना के सिलसिले में रवाना होने का तथ्य स्वमेव ही खण्डित हो रहा है।

26. जहाँ तक इलाका गस्त की बात है, इलाका भ्रमण के में वह कहाँ कहाँ कितने बजे गये, इसका कोई विवरण न तो प्र०पी०-8 के रोजनामचासान्हा में है न ही प्र०पी०-6 की देहाती नालिसी में है और न ही अ०सा०-6 की अभिसाक्ष्य में स्पष्ट हुआ है। पैरा-6 में थाने के दूरभाष नंबर से अपने मोबाईल पर दिन में दो ढाई बजे आरोपी के संबंध में एच०सी०एम० गजेन्द्रसिंह के द्वारा सूचना देना बताया है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि टी०आई० शेरसिंह को घटना के बारे में सूचना इलाका भ्रमण के दौरान मिली न कि उस सूचना पर थाने से रवाना हुआ जैसा कि अ०सा०-1 कहता है। अ०सा०-6 ने पैरा-6 में यह भी कहा है कि सूचना मिलने के समय वह ग्राम माहौ के पास था और माहो में इलाका भ्रमण के लिये गया था। तथा दिलीप गुर्जर को चैक करने के लिये गया था जो आदतन अपराधी है। दिलीप गुर्जर की चैकिंग का उल्लेख भी देहाती नालिसी या रोजनामचासान्हा प्र०पी०-6 व 8 में नहीं है। यह बात न्यायालय में ही उक्त परिवादी और कार्यवाही करता पुलिस अधिकारी के द्वारा पहली बार बताई गई है। पैरा-7 में उसने आसपास के और आरोपी के गांव से घटनास्थल की दूरी को स्पष्ट करते हुए जो घटनास्थल वाली पुलिया बताई है, उसके बारे में पैरा-8 में यह कहा है कि पुलिया ग्राम माहौ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है जिसका आसपास कोई गांव नहीं हैं, खेत हैं। लेकिन वह घटना के समय कोई कृषक आसपास न होना भी पैरा-9 में बताता है। और पैरा-8 में वह यह कहता है कि वह सरकारी वाहन से गये थे किन्तु उसका नंबर याद नहीं है और सरकारी वाहन की लॉग बुक भरी जाती है जिसकी कोई कॉपी भी पेश नहीं की गई है। उसके मुताबिक वह माहौ में अपने सरकारी वाहन को छोड़कर पैदल पुलिया पर गये थे। और उसके पैरा-9 मुताबिक नहर की पुलिया की दीवाल के किनारे आड़ में छुप गये थे। नहर की पुलिया के उपर से सड़क है। पुलिया की रोड़ के किनारे दीवाल की आड़ में वह छुपे थे। उसके मुताबिक फोर्स का एक व्यक्ति आरोपी को वॉच कर रहा था। और पुलिया के दूसरी तरफ नीम के पेड़ की आड़ में नजर लगाये था। लेकिन फिर वह उसे पुलिस आदमी नहीं होना कहता है, मुखबिर होना बताता है। प्रकरण में कोई नजरीय नक्शा नहीं बनाया गया है जिसके संबंध में उक्त साक्षी ने अग्रिम विवेचनाकर्ता उपनिरीक्षक डिंपल मौर्य के विवेचना का उक्त प्रश्न होना बताया है। नजरीय नक्शा के संबंध में डिंपल मौर्य अ०सा०-4 से

103 / 2015

कोई स्पष्टीकरण किसी भी पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है।

27. अ0सा0-6 ने पैरा-11 में साक्षी विनोद शर्मा के संबंध में यह बताया है कि मौके पर जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही करते समय ही वह वहाँ से गुजर रहा था इसलिये उसे रोककर कार्यवाही में शामिल कर लिया गया था जबकि देहाती नालिसी और रोजनामचासान्हा में साक्षी विनोद शर्मा के बारे में इस तरह का खुलासा नहीं है कि अचानक वह गुजरा और उसे कार्यवाही में शामिल कर लिया जबकि पैरा-11 में ही साक्षी को टी0आई0 शेरसिंह घटना की जानकारी देते हुए शामिल करना भी कहता है। दोनों बातें आपस में ही मेल नहीं खाती हैं। और पैरा-11 की अभिसाक्ष्य के अवलोकन से तो विनोद शर्मा की यकायक उपस्थिति साक्षी की स्थिति हो जाती है जिसने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि वह मौके से गुजर रहा था तो पुलिस वालों ने रोक लिया हो और हस्ताक्षर करा लिये हों बल्कि वह तो थाने में हस्ताक्षर कराना कहता है।
28. शेरसिंह अ0सा0-6 आरोपी को करीब सौ मीटर की दूरी से आता हुआ देखना कहता है जहाँ वे पोजिशन लिये हुए थे और आरोपी जब 20-25 कदम की दूरी पर आया तो उसे उसने कैसे रोका और अन्य पुलिस बल द्वारा घेरकर मिलकर पकड़ना बताता है। लेकिन अन्य पुलिस बल में किन किन लोगों ने पकड़ा, यह वह स्पष्ट नहीं करता है। रोजनामचासान्हा में केवल दो आरक्षक उदयसिंह और विक्रम का उल्लेख है जिनका पकड़ने में शामिल होने का स्पष्ट रूप से उक्त साक्षी अभिसाक्ष्य नहीं देता है जो भी उसकी मौके की कार्यवाही को संदिग्ध बनाता है। मौके की कार्यवाही में वह पैरा-16 में करीब 20 मिनट का समय लगना और मौके पर जप्त शस्त्रों को मौके पर ही सीलड करना वह कहता है। जबकि हमराह पुलिस बल में इन्द्रसिंह बघेल थाने पर शस्त्र सीलबंद होना बताता है। मौके पर शस्त्र सीलड किये जाने की पुष्टि अन्य किसी साक्ष्य तथ्य या परिस्थितियों से भी प्रकट नहीं होती है। उपरोक्त आधारों पर टी0आई0 शेरसिंह द्वारा बताये गये घटनास्थल पर एम्बूस लगाकर आरोपी को पकड़े जाने का अभिसाक्ष्य उक्त स्थिति में संदेह उत्पन्न करता है।
29. अ0सा0-6 मौके पर अपनी जामा तलाशी न कराने के संबंध में यह स्पष्टीकरण अवश्य देता है कि आरोपी पर दो दो हथियार थे और यदि वह पहले जामा तलाशी देता तो निश्चित ही आरोपी उसके साथ कोई वारदात घटित कर सकता था। इस स्पष्टीकरण को अवश्य स्वीकार किया जा सकता है किन्तु पैरा-14 में ही उसने पहले आरोपी की चोट के संबंध में याद न होना बताया फिर जब उसे आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई तब उसने यह स्वीकार किया कि आरोपी के गले की हड्डी टूटी थी जिसका वह मेडिकल परीक्षण करना भी कहता है और यह स्वीकार करता है कि घटना दिनांक को मेडिकल नहीं कराया था। जब न्यायालय में भेजा गया था उसके पूर्व मेडिकल कराना वह बताता है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि घटना

103 / 2015

दिनांक को आरोपी के गर्दन की हड्डी में अस्थिभंजन था। ऐसे में आरोपी की ओर से यह कहना कि वह देशी उपचार के लिये जा रहा था, उसे बल प्राप्त होता है और घटना दिनांक को गिरफ्तार कर लिये जाने के बावजूद भी गले की हड्डी का अस्थिभंजन होने पर भी उसी दिन मेडिकल परीक्षण न कराया जाना कार्यवाही को निश्चित रूप से संदिग्ध बनाता है। ऐसे में जामा तलाशी का बिन्दु भी अभियोजन के प्रतिकूल ही उपधारणा निर्मित करेगा।

30. अ0सा0-6 ने पैरा-15 में आरोपी के द्वारा दी गई यह जानकारी कि वह शस्त्र राजाभैया और गजेन्द्र माहौर को देने के लिये जा रहा था उसके संबंध में वह उक्त दिनांक को ही पुलिस बल को राजाभैया और गजेन्द्र माहौर की तलाशी के लिये मौखिक निर्देश देना कहता है किन्तु उसके संबंध में भी रोजनामचासान्हा में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही वह यह भी कहता है कि जब उसे आरोपी के द्वारा कट्टा लिये जाने की सूचना मिली थी उस समय फरार आरोपी के छुपे होने की सूचना मिली थी किन्तु फरार आरोपी राजाभैया व गजेन्द्र माहौर की मिली सूचना के संबंध में रोजनामचासान्हा प्रकरण में पेश नहीं है इससे मौके पर वास्तविक कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है। और औरीप के विरुद्ध 18 प्रकरण पंजीबद्ध पाये जाने के आधार पर अभियोजन के पक्ष में कोई उपधारणा निर्मित नहीं होती है कि पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर घटना को सिद्ध माना जावे।
31. प्रकरण में जिस एच0सी0एम0 गजेन्द्र से सूचना मिलना बताया गया है, उसे न तो साक्षी बनाया गया है न ही उसका कथन कराया गया है। ऐसी स्थिति में अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-1 का जप्ती पत्र जिसके मुताबिक एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं पांच जीवित कारतूस, एक 32 बारे की पिस्टल एवं पांच जीवित कारतूस, एक मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07के0एच0-7072 जप्त करना बताया गया है वह प्रमाणित नहीं होता है। हालांकि प्र0पी0-1 पर मौके पर शस्त्र कारतूस सील्ड किये जाने का नोट अंकित है, तथा नमूना सील भी कॉलम नंबर-13 में चरप्पा की गई है, किन्तु रोजनामचासान्हा प्र0पी0-8 व देहाती नालसी प्र0पी0-6 में बताई गई जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती है जो अ0सा0-6 के द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य में करना बताया गया है।
32. अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य के दौरान जप्तशुदा बताये गये 32 बोर की पिस्टल आर्टिकल-ए, उसके पांच 32 बोर के कारतूस आर्टिकल-बी से एवं 315 बोर का देशी कट्टा आर्टिकल जी और उसके पांच जीवित कारतूस एच से एल तक को साक्ष्य के दौरान अवश्य पेश किया गया है किन्तु आर्टिकल पेश होने के आधार पर यह उपधारित नहीं किया जा सकता है कि वह प्र0पी0-1 में किये गये उल्लेख मुताबिक ही आरोपी से जप्त हुए। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी मात्र के आधार पर घटना प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है क्योंकि अवैध शस्त्रों का अभिग्रहण विधि अनुसार प्रमाणित नहीं है जो कि आयुध

103 / 2015

अधिनियम के अपराध की धारा 25 (1-ख)(क) की प्राथमिक शर्त है। जो कि धारा-3 के उल्लंघन के संबंध में है।

33. देहाती नालसी प्र0पी0-6, रोजनामचासान्हा प्र0पी0-8 में घटनास्थल पर जिस शासकीय वाहन से गये उसके क्रमांक का कोई उल्लेख नहीं है। तथा अ0सा0-6 को भी इस संबंध में साक्ष्य के दौरान न बता पाना बचाव पक्ष के इस तर्क को बल प्रदान करता है कि वास्तव में मौके पर कार्यवाही नहीं की अन्यथा शासकीय वाहन का क्रमांक या उसके लॉग बुक की प्रति पेश की जाती। शासकीय वाहन कौन चुराकर ले गया, इसके बारे में स्थिति मौन है इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी बताई गई घटना के समय मोटरसाईकिल से अपने पेन्ट के दांयी तरफ बैल्ट के नीचे दोनों शस्त्र छुपाये था और कारतूस जेब में रखे था जैसा कि प्र0पी0-1 में उल्लेख किया गया है। ऐसे में अ0सा0-6 का अभिसाक्ष्य विषंगतियों से भरा हुआ है जो उसकी विश्वसनीयता को खण्डित करता है। ऐसे में किसी भी बिन्दु पर अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय होना नहीं पाया जाता है।
34. अ0सा0-6 के मुताबिक प्र0पी0-1 व 2 की मौके पर की गई कार्यवाही उसके संबंध में लेखबद्ध की गई प्र0पी0-6 की देहाती नालसी के आधार पर प्र0पी0-7 की एफ0आई0आर0 कायम करना बताया गया है। किन्तु मौके की कार्यवाही संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में अ0सा0-6 के अभिसाक्ष्य के आधार पर प्र0पी0-7 की एफ0आई0आर0 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
35. कथानक मुताबिक आरोपी से जप्त बताये गये शस्त्र व कारतूसों की जांच पुलिस लाईन भिण्ड में आर्म्स मुहर्रिर से कराना बताया गया है और उसके संबंध में आरक्षक आर्म्स मुहर्रिर सुरेश दुबे अ0सा0-5 को परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में थाना मालनपुर के अप0क्र0-103/14 में जप्त 315 बोर का देशी कट्टा, 32 बोर की पिस्टल एवं उनके पांच पांच कारतूसों की जांच करने पर कट्टा व पिस्टल चालू हालत में फायर योग्य होना और कारतूसों को जीवित होने का कथन देते हुए प्र0पी0-5 की जांच रिपोर्ट तैयार करना बताया गया है। उसके मुताबिक हथियार सफेद कपडे में सीलबंद अवस्था में अलग-अलग आये थे अर्थात् कट्टा व उसके पांच कारतूस अलग सीलड थे और पिस्टल व कारतूस अलग सीलड थे जिन्हें जांच उपरान्त उन्हीं कपडों में सीलबंद करके वापिस किया गया था। आयुधों की सील पर थाना मालनपुर की सील लगी हुई थी और उसने कट्टा व पिस्टल को खाली चलाकर देखा था जिनका एक्शन चालू था।
36. अ0सा0-5 के द्वारा तैयार की गई प्र0पी0-5 की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से उसमें दिनांक 10.05.14 का उल्लेख किया गया है जो जांच रिपोर्ट के प्रारंभ में भी अंकित है। तथा जांचकर्ता आरक्षक सुरेश दुबे अ0सा0-5 के हस्ताक्षरों के नीचे भी वही दिनांक उल्लेखित है। जबकि दिनांक 10.05.14 को तो उक्त घटना घटित ही नहीं हुई थी बल्कि घटना दो दिन पश्चात 12.05.14 की

103 / 2015

बताई गई है। हालांकि इस बिन्दु पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है न ही अभियोजन का स्पष्टीकरण है। यदि साक्षी के मुताबिक दिनांक 10.05.14 को जांच करना माना भी जाये तो उससे अभियोजन का संपूर्ण मामला पूरी तरह से संदिग्ध होगा और यदि उसे लिपिकीय त्रुटि या भूल माना जाये तो स्थिति भिन्न होगी। हालांकि उक्त साक्षी अ0सा0-5 अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की प्रथम पंक्ति में ही दिनांक 10.05.14 को ही जांच की बात कहता है जिसकी औपचारिक स्वरूप की रिपोर्ट है।

37. अन्य साक्षी आर्म्स क्लर्क दीपक तिवारी अ0सा0-3 के द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में दिनांक 11.06.14 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए यह कहता है कि उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक देवेन्द्रसिंह के द्वारा अप0क्र0-103/14 से संबंधित केसडायरी एवं जप्तशुदा शस्त्र सीलबंद अवस्था में आरोपी भूरा गुर्जर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के लिये लाये गये थे जिसे उसने डी0एम0 महोदय के समक्ष पेश किया था जिसके साथ पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन भी पेश किया गया था। डी0एम0 महोदय ने केसडायरी, पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन, जप्तशुदा आयुध का अवलोकन करने के उपरान्त आरोपी के पास शस्त्र रखने का वैध लायसेन्स न होने से अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र0पी0-4 प्रदान की गई थी जिस पर वह ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री एम0सिबि चक्रवर्ती के और बी से बी भाग पर स्वयं के लघु हस्ताक्षर होना बताता है। पैरा-2 में उसका यह कहना है कि जप्तशुदा आयुध एवं कारतूसों को उसने नहीं देखा था। डी0एम0 महोदय के समक्ष पेश किया था और अभियोजन स्वीकृति देने में डी0एम0 महोदय को कितना समय लगा है, यह वह नहीं बता सकता है। उसके मुताबिक आरक्षक देवेन्द्र सिंह के द्वारा डी0एम0 महोदय के समक्ष केसडायरी शस्त्र पेश किये गये थे।

38. धारा-39 आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की दी जाने वाली स्वीकृति के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि जिला दण्डाधिकारी को स्वीकृति प्रदान करने में न्यायिक विवेक का उपयोग दर्शित होना चाहिए। प्र0पी0-4 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा केसडायरी का अध्ययन किया गया। जप्तशुदा शस्त्र खुलवाकर देखे गये और आयुधों के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या उनकी पुष्टि हुई जिसके आधार पर जप्त किये गये आयुधों को रखने या बनाने का आरोपी के पास लायसेन्स न होने के आधार पर स्वीकृति दी गई है। अभियोजन का मामला जप्तशुदा शस्त्र अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखने का मामला बताया गया है। बनाने का मामला नहीं है। बनाने शब्द का प्र0पी0-4 में उल्लेख किया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि स्वीकृति में औपचारिकता निभाई गई, न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं हुआ अन्यथा केवल आयुधों को अवैध रूप से रखने के आधार पर अभियोजन स्वीकृति

103 / 2015

प्रदान की जाती। ऐसे में प्रकरण में अभियोजन चलाने की स्वीकृति को विधिक रूप से प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। और जप्तशुदा शस्त्र की जांच दिनांक भिन्न होने से भी संदेह उत्पन्न होता है।

39. इस तरह से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर अभियोजन का मामला पूरी तरह से संदिग्ध है, और युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी भूरा गुर्जर दिनांक 12.05.14 दिन के करीब तीन बजे ग्राम आलौरी के पास थाना मालनपुर के क्षेत्रान्तर्गत अपने आधिपत्य व संज्ञान में एक 32 बोर की पिस्टल मय पांच जीवित कारतूसों के तथा एक 315 बोर का देशी कट्टा मय पांच जीवित कारतूसों के आयुध अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन करते हुए रखे पाया गया। हालांकि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 20.01.2000 के मुताबिक उक्त अधिनियम प्रभावशील अवश्य था। तथा आरोपी के विरुद्ध यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह उक्त शस्त्र फरार इनामी अपराधी राजाभैया गुर्जर व गजेन्द्र माहौर को देने के लिये ले जाते हुए पाया गया। जिससे आरोपी के द्वारा किसी अपराधी को संश्रय दिये जाने का आक्षेप भी प्रमाणित नहीं होता है। फलस्वरूप आरोपी भूरा गुर्जर को धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम एवं सहपठित धारा-11 व 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं 216 भा0द0वि0 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।
40. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
41. प्रकरण में जप्तशुदा एक 315 बोर का कट्टा मय पांच जीवित कारतूस, एक पिस्टल 32 बोर की मय पांच जीवित कारतूसों को विधिवत निराकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड की ओर अपील अवधि उपरान्त भेजे जावें। तथा जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07के0एच0-7072 पर किसी के द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है अतः पंजीकृत स्वामी के ज्ञात होने पर उसे अपील अवधि उपरान्त वापिस किया जावे अन्यथा स्थिति में उसे विधिवत राजसात कर प्राप्त राशि कोषालय में जमा की जावे।
42. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 07 जुलाई 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड